फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरसिंह **विपक्षी : श्री हरिसिंह**

किस्म मुकदमा – 53,88,188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 214/12**

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 30.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित। वादी फौत होने से वादी का वाद पूर्व में दिनांक 28.11.19 को अबेट कर खारिज किया जा चुका हैं। पत्रावली प्रतिवादी सं. 14 के प्रतिवाद में जारी हैं। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 14 द्वारा प्रतिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिवाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रतिवादी सं. 14 द्वारा प्रतिवाद पेश कर सोहनकुंवर के हिस्से की भूमि को जरिये वसीयतनामा अपने नाम घोषणा कराने का निवेदन किया। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री भंवरसिंह, डीडब्ल्यू 2 श्री जोधसिंह, डीडब्ल्यू 3 श्री जीवनसिंह एवं डीडब्ल्यू 4 श्री नाहरसिंह के शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 से 5, वसीयतनामा प्रदर्श 6, सोहनकुंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 एवं गिरवरसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 पेश किये। वाद के अवलोकन से भूमि पूर्व में मूल पुरूष मेघसिंह के नाम दर्ज थी जो मेघसिंह की मृत्यु के पश्चात् तेजसिंह व मानसिंह के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। मानसिंह के चार पुत्र गिरवरसिंह, प्रतापसिंह, सोहनकुंवर, गजेसिंह, भंवरसिंह हुए। तेजसिंह की मृत्यु के पश्चात् भूमि उनके वारिस रायसिंह के नाम दर्ज हुई। रायसिंह की मृत्यु के बाद भूमि सोहनकुंवर के नाम दर्ज हुई। सोहनकुंवर लाऔलाद फौत हो चुकी हैं। सोहनकुंवर के वारिस नहीं होने से सोहनकुंवर द्वारा मानसिंह के पुत्र गिरवरसिंह को गोद रखा व गिरवरसिंह की मृत्यु के पश्चात् गिरवरसिंह के पुत्र भंवरसिंह ने सोहनकुंवर की सेवा चाकरी की जिससे सोहनकुंवर ने भंवरसिंह के पक्ष में वसीयत कर दी। वर्तमान में भंवरसिंह सोहनकुंवर का विधिक वारिस हैं। सोहनकुंवर द्वारा दिनांक 21.03.2002 को वसीयत पत्र प्रतिवादी सं. 14 भंवरसिंह के पक्ष में निष्पादित किया, जो प्रदर्श 6 हैं। सोहनकुंवर की मृत्यु दिनांक 14.06.2005 को हो चुकी हैं। प्रतिवादी सं. 14 द्वारा विधिक वारिस होने से वसीयत के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में सोहनकुंवर के विधिक वारिसों में एकमात्र वारिस भंवरसिंह होना प्रतीत होता हैं। खातेदार सोहनकुंवर पत्नी रायसिंह राजपूत की सेवा चाकरी करने से सोहनकुंवर द्वारा वसीयत पत्र प्रतिवादी सं. 14 के पक्ष में निष्पादित की हैं। प्रतिवादी सं. 14 के अलावा सोहनकुंवर का वर्तमान में भंवरसिंह के अलावा कोई वारिस नहीं होना बताया हैं। प्रतिवादी सं. 14 खातेदार सोहनकुंवर की एकमात्र वारिस होने से एवं उसके पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित होने से प्रतिवादी सं. 14 अपने नाम भूमि दर्ज कराने की अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 14 का प्रतिवाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं. 14 का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 184, 185, 191, 192, 193, 196, 457, 458, 198 किता 9 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा एवं मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 500, 947, 948, 949 किता 4 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 956 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि में खातेदार सोहनकुंवर बेवा रायसिंह के बजाय प्रतिवादी सं. 14 भंवरसिंह पिता गिरवरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 214/12 (वाद) GCMS No. : 2012/00261

उनवान

1. श्री भंवरसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।(**अबेट**)

.....वादी

बनाम

1. श्री हरिसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
2. श्री धनसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
3. श्रीमती मोहनकुंवर पत्नी प्रतापसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
4. श्री फतहसिंह पिता गमेरसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
5. श्री प्रेमसिंह पिता गमेरसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
6. श्रीमती अमृतकुंवर पत्नी गमेरसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
7. श्री भीमसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी हाल अगोरिया तह. भदेसर।
8. श्री गोपालसिंह भीमसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी हाल अगोरिया तह. भदेसर।
9. श्री खुमाणसिंह पिता गजेसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
10. श्री लक्ष्मणसिंह पिता गजेसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
11. श्रीमती सुगनाकुंवर गजेसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
13. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया/भीमल तह. मावली।
14. श्री भंवरसिंह पिता गिरवरसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी सं. 14 का प्रतिवाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 184, 185, 191, 192, 193, 196, 457, 458, 198 किता 9 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा एवं मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 500, 947, 948, 949 किता 4 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 956 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि में खातेदार सोहनकुंवर बेवा रायसिंह के बजाय प्रतिवादी सं. 14 भंवरसिंह पिता गिरवरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30.01.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली